

बिहार सरकार
अभियंता प्रमुख का कार्यालय
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना।
E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

आदेश

सं0सं0-आ0/अभि0प्र0/ल0ज0सं0वि0/मु0 स्था0-29-01/2025- 1335/पटना, दिनांक-02.12.25-
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0(सी0) सं0-7257/2023 शशि
भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-04.10.2024 को पारित न्याय-निर्णय
के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-20 दिनांक-01.01.2025 द्वारा विज्ञापन
सं0-01/2019 के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु लघु जल
संसाधन विभाग को प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभिन्न अवधियों में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं संगत
प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया गया। प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में उपस्थित और वांछित कागजात
उपलब्ध कराने वाले अभ्यर्थियों को अभियंता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के स्तर
से निर्गत आदेश द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर परीक्षा पर
नियुक्ति की गयी है।

2. अभियंता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश सं0-117 दिनांक-
01.03.2025 द्वारा 83 (तिरासी) कनीय अभियंताओं (असैनिक) की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर
अगले आदेश तक पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गई थी। पंचायती राज विभाग, बिहार,
पटना के पत्रांक-4092 दिनांक-18.03.2025 द्वारा दिनांक-26.03.2025 को प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु
तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें श्री प्रभाकर कुमार, कनीय अभियंता(असैनिक) मेधा क्रमांक 7386,
गृह जिला-लखीसराय उपस्थित नहीं हुए। पुनः श्री कुमार को दिनांक-21.4.2025 को दस्तावेजों/
कागजातों की जाँच हेतु उपस्थित होने का निदेश दिया गया था। श्री कुमार इस में भी उपस्थित नहीं
हुए, जिस कारण पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक-9689 दिनांक-01.08.2025 द्वारा
श्री कुमार की सेवा लघु जल संसाधन विभाग को वापस कर दी गई है।

श्री प्रभाकर कुमार के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात् इस कार्यालय के आदेश सं0-34
दिनांक-31.01.2025 द्वारा परीक्ष्यमान कनीय अभियंता(असैनिक) के रूप में नियुक्ति की गई है।
फलस्वरूप श्री कुमार को निम्नांकित सारणी के स्तम्भ-06 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक
पदस्थापित किया जाता है :-

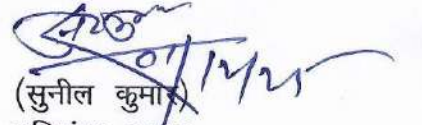
क्र0 सं0	नवनियुक्त कनीय अभियंता का नाम/ गृह जिला	पिता/ पति का नाम/ स्थायी पता	समेकित मेधा क्रमांक/ पंजीयन सं0	जन्म तिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम	अभियु0
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री प्रभाकर कुमार/ लखीसराय	श्री सुबोध कुमार/ ग्राम-पीरी, पोस्ट+थाना-पीरी बाजार, जिला-लखीसराय, पिन कोड-811112	7386 BR00150010073961	01/03/1984	लघु सिंचाई प्रमण्डल, सीवान	

3. नवनियुक्त कनीय अभियंता(असैनिक) को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर
पदस्थापन स्थान पर योगदान देना अनिवार्य होगा।

4. संबंधित कार्यालय नवनियुक्त कनीय अभियंता(असैनिक) के योगदान के समय शैक्षणिक
प्रमाण-पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे एवं मूल प्रमाण-पत्रों
से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति का संधारण कर लेंगे।

5. नवनियुक्त वैसे कनीय अभियंता(असैनिक), जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/ भारत सरकार/
सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय विरमण आदेश/ त्याग पत्र स्वीकृति आदेश
समर्पित करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-171 दिनांक-14.01.2025 के आलोक में बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित नियुक्ति के पश्चात् पदस्थापन के उपरांत संविदा नियोजन से त्याग-पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे।
7. नवनियुक्त कनीय अभियंता(असैनिक) का नियुक्ति पत्र राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ई-गजट कोषांग से अनुरोध किया गया है। कार्यालय प्रधान/ योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी से अनुरोध होगा कि वे राजपत्र की प्रति से नियुक्ति आदेश की सत्यता की जाँच कर लेंगे। साथ ही नियुक्ति आदेश की सत्यता की जाँच विभागीय वेबसाइट से भी कर लेंगे।
8. संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा प्रथम वेतन विपत्र के साथ नियुक्ति आदेश की अभिप्रमाणित प्रति कोषागार में भेजी जायेगी, जिससे नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये नियुक्ति आदेश से कर लेंगे।
9. संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा नवनियुक्त कनीय अभियंता का नई अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत स्थायी लेखा संख्या (PRAN No.) अवश्य खोल लिया जायेगा।
10. नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
11. योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. नवनियुक्त कनीय अभियंता(असैनिक) को पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. पदस्थापन कार्यालय में योगदान की तिथि से परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् सेवा संतोषप्रद रहने पर नियमानुसार नवनियुक्त कनीय अभियंता(असैनिक) की सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।
14. संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा योगदान करने वाले नवनियुक्त कनीय अभियंता(असैनिक) की सूचना अभियंता प्रमुख कार्यालय एवं विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायेगे।
15. नवनियुक्त कनीय अभियंता(असैनिक) द्वारा राज्य सरकार एवं लघु जल संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
16. संबंधित कार्यालय प्रधान/ योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी को यदि आदेश में टंकण त्रुटि परिलक्षित होती है तो इससे अविलम्ब अभियंता प्रमुख कार्यालय एवं विभाग को अवगत करायेगे।
17. यदि भविष्य में आदेश में कोई भूल अथवा टंकण त्रुटि आदि परिलक्षित होती है तो इसे तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा।


(सुनील कुमार)
अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।
पटना, दिनांक-

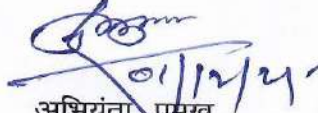
ज्ञापांक-अभि0प्र0/ल0ज0सं0वि0/मु0 स्था0-29-01/2025-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/ सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।
11/1/25

ज्ञापांक-अभि0प्र0/ल0ज0सं0वि0/मु0 स्था0-29-01/2025- 1335 पटना, दिनांक- 02.12.25

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी सहायक अभियंता/ संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

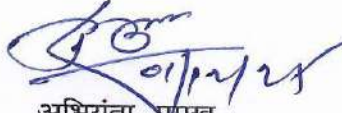

अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

ज्ञापांक-अभि0प्र0/ल0ज0सं0वि0/मु0 स्था0-29-01/2025- 1335 पटना, दिनांक- 02.12.25

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई0टी0 प्रबंधक को निदेशित किया जाता है कि आदेश की प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेजते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय ।


अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

11/12/25